रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25032020-218911
CG-DL-W-25032020-218911

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 15— मार्च 21, 2020, शनिवार/फाल्गुन 25, 1941— चैत्र 1, 1942
No. 6] NEW DELHI, MARCH 15 — MARCH 21, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 25, 1941—CHAITRA 1, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2020

आ. अ. 18.–यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10.03.2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23.05.2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 04-धुब्री संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23.05.2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22.06.2019 थी।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुब्री जिला, असम द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम द्वारा अपने दिनांक 05.07.2019 के पत्र सं.ईएलई94/2018/225 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25.06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री उत्तम कुमार रे, जो असम के 04-धुब्री संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुब्री जिला, असम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री उत्तम कुमार रे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.08.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 08.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री उत्तम कुमार रे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें। अपने लेखे की त्रुटियों को ठीक करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री उत्तम कुमार रे द्वारा 29.08.2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, धुब्री द्वारा अपने दिनांक 30.08.2019 के पत्र सं.डीईएल-19/2019/112 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुब्री द्वारा अपने दिनांक 30.08.2019 के पत्र सं. डीईएल-19/2019/112 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री उत्तम कुमार रे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उत्तम कुमार रे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम राज्य के 04-धुब्री संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से असम राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री उत्तम कुमार रे, निवासी ग्राम-डिबोल्लोर, हसदहा पीटी-II डाकघर-कछारीहाट, पी.एस. और जिला धुब्री, असम पिन-783334, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[सं.76/असम-लो.स./2019/एनईएस-II]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2020

O.N. 18.—WHEREAS, the General Election to the Lok Sabha of Assam, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10.03.2019. As per the schedule Date of Counting was 23.05.2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 04-Dhubri Parliamentary Constituency on 23.05.2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22.06.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25.06.2019 submitted by the District Election Officer, Dhubri District, Assam and forwarded by Chief Electoral Officer, Assam vide letter No. ELE 94/2018/225 dated 05.07.2019, Shri Uttam Kumar Ray, independent contesting candidate from 04-Dhubri Parliamentary Constituency of Assam, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Dhubri District, Assam and the Chief Electoral Officer, Assam, a Show Cause notice dated 08.08.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 Shri Uttam Kumar Ray for non submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 08.08.2019, Shri Uttam Kumar Ray was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Uttam Kumar Ray on 29.08.2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Dhubri vide his letter No.DEL-19/2019/112 dated 30.08.2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Dhubri vide his letter No.DEL-19/2019/112 dated 30.08.2019 has stated that Shri Uttam Kumar Ray, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Uttam Kumar Ray has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Uttam Kumar Ray, resident of Vill Debottor Hasdaha PT-II, P.O. Kacharihat, P.S. & Distt. Dhubri, Assam, Pin-783334 and the contesting Independent candidate for the General Election to the Lok Sabha in the state of Assam, 2019 from 04-Dhubri Parliamentary Constituency of the state of Assam to be disqualified for being chosen as and for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/AS-HP/2019/NES-II]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Principal Secy.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

आ. अ. 19.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 2019 की निर्वाचन याचिका संख्या 18 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 7 जनवरी, 2020 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है ।

(निर्णय अधिसूचना के अंग्रेजी भाग में छपा है)

[सं 82/उ0प्र0–लो0स0/18/2019(इला.)]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

New Delhi, the 17th March, 2020

O. N. 19.-In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 7th January, 2020 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 18 of 2019.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition no. 18 of 2019

(Under section 80 of the Representation of the Peoples Act)

District Mirzapur

Ramcharan s/o Late Sarayu r/o village Pachokhara, P.S. Madihan, District Mirzapur

Petitioner

Versus

1. Anupriya Patel D/o Dr. Sone Lal Patel Loksabha Member 79 Loksabha Constituency Mirzapur, r/o Bharuhana Mirzapur, District Mirzapur.
2. The Returning Officer 79 Loksabha Loksabha Constituency Mirzapur, District Mirzapur.

Respondents

Court No. - 41

Case :- ELECTION PETITION No. - 18 of 2019

Petitioner :- Ramcharan

Respondent :- Anupriya Patel And Another

Counsel for Petitioner :- In Person,Devendra Deo Gupta, Ram Charan

Counsel for Respondent :- Manvendra Nath Singh, K.R. Singh

Hon'ble Mrs. Sunita Agarwal, J.

Sri Devendra Deo Gupta learned Advocate appearing on behalf of the election petitioner and Sri Ramcharan the election petitioner in person, are present in the Court. Sri Manvendra Nath Singh and Sri K.R. Singh, learned Advocates appearing on behalf of returned candidate i.e. respondent no. 2 are also present.

Sri Devendra Deo Gupta learned Advocate states that having gone through the details given in the written statement filed on behalf of the returned candidate, the election petitioner and the counsel appearing on his behalf found that the challenge to the result of election on the ground of improper rejection of the nomination paper of the election petitioner, is unsustainable.

The election petitioner namely Ramcharan, therefore, does not propose to pursue the election petition.

In view of the Statements of Sri Devendra Deo Gupta learned Advocate as also Sri Ramcharan, the election petitioner present in person, the election petition is **dismissed** as not pressed.

Order Date :- 7.1.2020

Brijesh

Sd/-

(Mrs. Sunita Agarwal, J.)

[No. 82/UP-HP/18/2019(Alld.)]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

आ. अ. 20.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/3/2018 दिनांक 18.01.2018 के तहत त्रिपुरा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी। अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तारीख 15.03.2018 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से **30** दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की मूल प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है;

और यतः, 44-राईमावैली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त निर्वाचन के परिणाम संबद्ध रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 03.03.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार निर्वाचन व्ययों के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02.04.2018 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, थलाई जिला, त्रिपुरा द्वारा प्रस्तुत दिनांक 31.03.2018 की रिपोर्ट के अनुसार श्री खगेंद्र रियांग, जो त्रिपुरा के 44-राईमावैली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, थलाई जिला, त्रिपुरा की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री खगेंद्र रियांग को निर्वाचन संबंधी व्यय प्रस्तुत न करने के लिए दिनांक **08.01.2019** को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, दिनांक 16.09.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, श्री खगेंद्र रियांग को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखों को प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को प्रस्तुत करने और निर्वाचन व्यय संबंधी अपने लेखों को दाखिल करने/अपने लेखों में कमियों को संशोधित करने और इन्हें इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए लिखित में निदेश दिया गया था;

और यतः, उक्त नोटिस श्री खगेंद्र रियांग ने दिनांक 13.01.2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, थलाई द्वारा अपने दिनांक 25.02.2020 के पत्र संख्याएफ.18(22)/डीएम(डी)/इले./ईईएम(आई.एस.)/2019/3656-58 के तहत आयोग को प्रस्तुत की गई है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा द्वारा अपने दिनांक 27.02.2020 के पत्र संख्या एफ.19(60)-सीईओ/ईईएम/2018/1568 के तहत अग्रेषित की गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, थलाई जिला द्वारा अपने दिनांक 25.02.2020 के पत्र संख्या एफ.18(22)/डीएम(डी)/इले./ईईएम(आई.एस.)/2019/3656-58 के तहत अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चूककर्ता अभ्यर्थी द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, इस कार्यालय को आज की तारीख तक श्री खगेंद्र रियांग से कोई भी अनुपूरक रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी अपनी उक्त विफलता के संबंध में न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री खगेंद्र रियांग अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है।

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि त्रिपुरा राज्य के 44-राईमावैली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के लिए त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री खगेंद्र रियांग, निवासी- ग्राम उरिह्म पारा, पीओ-बूलंगबासा, पीएस गंदाछारा, जिला-थलाई, त्रिपुरा इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[सं. 76/टीपी-एलए/44/2018]

आदेश से,

अरविंद आनंद, सचिव

SECRETARIAT OF ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 16th March, 2020

O.N. 20.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Tripura, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/3/2018 dated 18.01.2018. As per the schedule Date of Counting was 15.03.2018;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his/her account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of the returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officers including 44-Raima Valley (ST) Assembly Constituency on 03.03.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 02.04.2018;

AND WHEREAS, as per the report dated 31.03.2018 submitted by the District Election Officer, Dhalai District, Tripura, Shri Khagendra Reang, a contesting candidate of Tripura People's Party from 44-Raima Valley (ST) Assembly Constituency of Tripura, failed to lodge any account of his election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Dhalai District, Tripura, a Show-Cause Notice dated 08.01.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Khagendra Reang for non submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961, through the above said Show Cause Notice dated 16.09.2019, Shri Khagendra Reang was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same with the District Electoral Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Khagendra Reang on 31.01.2019. Acknowledgement receipt so obtained from the candidate have been submitted to the Commission by the District Election Officer, Dhalai, vide his letter No. F.18(22)/DM(D)/ELEC/EEM(I.S)/2019/3656-58 dated 25.02.2020 and forwarded by the Chief Electoral Officer, Tripura vide his letter No. F.19(60)-CEO/EEM/2018/1568 dated 27.02.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report the District Election Officer, Dhalai District vide his letter No. F.18(22)/DM(D)/ELEC/EEM(I.S.)/2019/3656-58 dated 25.02.2020 has stated that despite of Notice being acknowledged by the defaulting candidate, no supplementary report has been received by his office till date from Shri Khagendra Reang. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Khagendra Reang has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Khagendra Reang, resident of Vill-Uriham Para, PO-Bulongbassa, PS-Gandacherra, District-Dhalai, Tripura and the contesting candidate of Tripura People's Party for the General Election to the Legislative Assembly, 2018, from 44-Raima Valley (ST) Assembly Constituency of the State of Tripura, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/TP-LA/44/2018]

By Order,

ARVIND ANAND, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

आ. अ. 21.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/3/2018 दिनांक 18.01.2018 के तहत त्रिपुरा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, **2018** की घोषणा की गई थी। अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तारीख 15.03.2018 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की मूल प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है;

और यतः, 48-करमछड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त निर्वाचन के परिणाम संबद्ध रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **03.03.2018** को घोषित किए गए थे। इस प्रकार निर्वाचन व्ययों के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02.04.2018 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, थलाई जिला, त्रिपुरा द्वारा प्रस्तुत दिनांक 31.03.2018 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री चिरंजय रियांग, जो त्रिपुरा के 48-करमछड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, थलाई जिला, त्रिपुरा की रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री चिरंजय रियांग को निर्वाचन संबंधी व्यय प्रस्तुत न करने के लिए दिनांक 08.01.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, दिनांक 16.09.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, श्री चिरंजय रियांग को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखों को प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को प्रस्तुत करने और निर्वाचन व्यय संबंधी अपने लेखों को दाखिल करने/अपने लेखों में कमियों को संशोधित करने और इन्हें इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए लिखित में निदेश दिया गया था;

और यत:, उक्त नोटिस श्री चिरंजय रियांग ने दिनांक 13.03.2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, थलाई द्वारा अपने दिनांक 25.02.2020 के पत्र संख्या एफ.18(22)/डीएम(डी)/इले./ईईएम(आई.एस.)/2019/3656-58 के तहत आयोग को प्रस्तुत की गई है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा द्वारा अपने दिनांक 27.02.2020 के पत्र संख्या एफ.19(60)-सीईओ/ईईएम/2018/1568 के तहत अग्रेषित की गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, थलाई जिला द्वारा अपने दिनांक 25.02.2020 के पत्र संख्या एफ.18(22)/डीएम(डी)/इले./ईईएम(आई.एस.)/2019/3656-58 के तहत अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चूककर्ता अभ्यर्थी द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, इस कार्यालय को आज की तारीख तक श्री चिरंजय रियांग से कोई भी अनुपूरक रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी अपनी उक्त विफलता के संबंध में न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चिरंजय रियांग अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि त्रिपुरा राज्य के 48-करमछड़ा (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के लिए त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री चिरंजय रियांग, निवासी- ग्राम व पोस्ट कराती चेरा, पीएस नेपाल टीला, लांगथराई घाटी सब-डिवीजन, थलाई, त्रिपुरा इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[सं.76/टीपी-एलए/48/2018]

आदेश से,

अरविंद आनंद, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th March, 2020

O. N. 21.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Tripura, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/3/2018 dated 18.01.2018. As per the schedule Date of Counting was 15.03.2018;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his/her account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of the returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officers including 48-Karamchhara (ST) Assembly Constituency on 03.03.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 02.04.2018;

AND WHEREAS, as per the report dated 31.03.2018 submitted by the District Election Officer, Dhalai District, Tripura, Shri Chiranjoy Reang, a contesting candidate of Tripura People's Party from 48-Karamchhara (ST) Assembly Constituency of Tripura, failed to lodge any account of his election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Dhalai District, Tripura, a Show-Cause Notice dated 08.01.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Chiranjoy Reang for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961, through the above said Show Cause Notice dated 16.09.2019, Shri Chiranjoy Reang was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same with the District Electoral Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Chiranjoy Reang on 13.03.2019. Acknowledgement receipt so obtained from the candidate have been submitted to the Commission by the District Election Officer, Dhalai, vide his letter No. F.18(22)/DM(D)/ELEC/EEM(I.S.)/2019/3656-58 dated 25.02.2020 and forwarded by the Chief Electoral Officer, Tripura vide his letter No. F.19(60)-CEO/EEM/2018/1568 dated 27.02.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report, the District Election Officer, Dhalai District vide his letter No. F.18(22)/DM(D)/ELEC/EEM(I.S.)/2019/3656-58 dated 25.02.2020 has stated that despite of Notice being acknowledged by the defaulting candidate, no supplementary report has been received by his office till date from Shri Chiranjoy Reang. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Chiranjoy Reang has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Chiranjoy Reang, resident of Vill and PO- Karati Cherra, PS Nepal Tilla, Longtharai Valley Sub-Division, Dhalai, Tripura and the contesting candidate of Tripura People's Party for the General Election to the Legislative Assembly, 2018, from 48-Karamchhara (ST) Assembly Constituency of the State of Tripura, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/TP-LA/48/2018]

By Order,

ARVIND ANAND, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.25 19:49:23 +05'30'